बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल
Email-ID :eeraxaul@gmail.com

अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना – 04/2023–24
(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार बेबसाईट https://eproc2bihar.gov.in पर)

पत्रांक : 23 /रक्सौल, दिनांक : 04. 01. 2024

1. कार्य का विवरण :–

ग्रुप सं0	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू0)	अग्रधन की राशि (रू0 में) (ऑनलाइन अथवा फिजिकल/मैनूअल मोड में भुगतेय)	परिमाण विपत्र का मूल्य (अप्रत्यपर्णीय रूप्या) (केवल ऑनलाईन मोड में भुगतेय रू0 में)	बेलट्रॉन को देय बिड प्रोसेसिंग फी (अप्रत्यपर्णीय केवल ऑनलाइन मोड में भुगतेय रू0 में)	जिला का नाम	कार्य समप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	दिउलिया उपवितरणी के वि0दू0 17.50 पर साइफन मरम्मति कार्य एवं वि0दू0 5.00 से 17.50 तक पुनर्स्थापन कार्य।	20.22	40,440.00	5,000.00	590.00	पश्चिम चम्पारण	31 मई 2024

2. निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत करने की तिथि :– 04.01.2024
3. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि एवं समय : दिनांक : 12.01.2024 10:30 बजे पूर्वाहन से दिनांक : 16.01.2024 के 3:00 बजे अपराहन तक की अवधि (सिर्फ बेबसाईट http://eproc2.bihar.gov.in पर)
4. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक :–18.01.2024 समय 03:30 बजे अपराहन। (सिर्फ बेबसाईट http://eproc2.bihar.gov.in पर)
5. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय : सक्षम पदाधिकारी द्वारा बाद में घोषित की जायेगी (सिर्फ बेबसाईट http://eproc2.bihar.gov.inपर)
6. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : सिर्फ बेबसाईट http://eproc2.bihar.gov.in पर
7. निविदा की वैधता अवधि (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से) : 120 दिन
8. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियता, त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल।
9. विशेष जानकारी प्राप्त करने हेतु बेबसाईट **http://eproc2.bihar.gov.in** एवं बेबसाईट **http://wrd.fmiscwrdbihar.gov.in** अथवा **http://wrd.bihar.gov.in** पर देखा जा सकता है।

04.01.2024
(सुजीत कुमार)
कार्यपालक अभियंता
त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल

निविदाकार की योग्यता एवं शर्तें :–

10. ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे की उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकिय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें बेबसाईट http://eproc2.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/ई–टेन्डरिंग की प्रकिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।
11. ई–निविदा मात्र बेबसाईटhttp://eproc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।
12. निविदादाता के प्री क्वालीफिकेशन बीड के साथ निम्नलिखित दस्तावेज देना अनिवार्य है।

(i) संवेदक विभाग के समुचित श्रेणी में निबंधित हो गया तथा अद्यतन निबंधन प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(ii) निविदा सूचना में अंकित परिमाण–विपत्र का मूल्य एवं अग्रधन की राशि निर्धारित स्वरूप में समुचित रूप में संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) निर्धारित आशय का शपथ–पत्र (Affidavit) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है :–"I, the undersigned, do hereby certify that all the statements made in the required attachments are true and correct, and if found fake / forged, the undersigned will be liable for infliction upon the F.I.R. and lawful punishment as well as black listing."

(iv) आरक्षी अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन आचरण प्रमाण–पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

13. (क) e-Tendering / e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु बिड प्रोसेसिंग शुल्क एवं परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान online mode (e-Payment mode) यानि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS द्वारा किया जाना अनिवार्य है।

(ख) e-Tendering /e-Procurement प्रणाली के तहत निविदा में अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली राशि online mode (e-Payment mode) में स्वीकार्य होगा। Online mode के तहत अग्रधन की राशि Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है। Physical mode/Manual Payment System के तहत मात्र बिना शर्त्तवाली बैंक गारन्टी (विभागीय पत्रांक 385 दिनांक : 26.08.2020) के आलोक में (as per format) में बिड के मान्य अवधि एवं 45 दिनों (120 दिन+45 दिन= 165 दिन) तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक से कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल के पक्ष में निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर से बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा), इसकी मूल प्रति निविदा कागजात के साथ कार्यपालक अभियंता, त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल/अधीक्षण अभियंता, तिरहुत नहर अंचल, रक्सौल/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, मोतिहारी तथा कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–17, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन पटना के कार्यालय में दिनांक 17.01.2024 के 3:00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन के रूप में उक्त वर्णित प्रतिभूति निविदा निर्गत की तिथि एवं निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि के बीच निर्गत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

14. संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ बेबसाईट से प्राप्त करने के उपरान्त बेबसाईट पर ही इलेक्ट्रोनिक निविदा पत्र को भर कर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण काजगात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्रों जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
15. किसी भी प्रकार का शुद्धि–पत्र को बेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताए निविदा रद्द/विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
16. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, MS Office (Compatibility Mode), JPEG, ZIP Format में हीं निर्धारित Folder में ही Upload किये जाए, अन्य Format में upload documents के Download/open नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।
17. संवेदक स्कैन कर अपलोड किए गये कागजातों की Download ability / visibility से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
18. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व की कठिनाईयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।
19. विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु ई–टेन्डरिंग सेल, कम्प्यूटर सेल, सिंचाई भवन, पटना (0612–2235241) एवं सहायता कक्ष (Held Desk) से दूरभाष संख्या– +91–7605084942 एवं 18005726571 (Toll Free) पर सम्पर्क किया जा सकता है।
20. विभागीय पत्रांक– 50 दिनांक : 20.01.2020 के आलोक में निविदाओं के लिए निविदित दर की न्यूनतम अधिसीमा को तत्काल समाप्त करते हुए परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिये Additional Performance Guarantee का प्रावधान किया गया है, जिसका अनुपालन अनिवार्य है। जल संसाधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 536 दिनांक 18.07.2023, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 4439 (E) दिनाक 17.07.2023 के आलोक में CWJC NO-9941/2022 बिहार संवेदक संघ बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.07.2023 को पारित न्याय

22. कार्य की प्राक्कलित राशि एवं मात्रा मे घटोत्तरी एवं बढ़ोतरी हो सकती है। तदनुसार अग्रधन की देय राशि संशोधित समझी जायेगी।
23. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
24. चरित्र सत्यापन की अनिवार्यता से संबंध मे विभागीय पत्रांक : 124 दिनांक : 04.02.2021 का अनुपालन अनिवार्य होगा।
25. संवेदक निविदा अपलोड करने से पहले कार्य स्थल निरीक्षण कर कार्य से अवगत हो लें। बाद मे कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
26. तकनीकी बीड मे कई सफल निविदिदाताओ का समान न्यूनतम निविदित दर की स्थिति मे सफल निविदादाता का चयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के अनुरूप लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा।
27. जल संसाधन विभाग के द्वारा निर्गत अद्यतन परिपत्रों/पत्रों में निहित प्रावधानों के अलोक मे निविदा निस्तारण किया जायेगा।
28. सरकार के परिपत्र एवं आदेश के आलोक में संवेदक के विपत्र के नियमानुसार स्वामित्व, आयकर, जमानत राशि, जी० एस० टी., लेबर सेस एवं अन्य कटौतिया विभागीय निदेश के आलोक मे की जायेगी। (लेबर सेस की कटौती की राशि को बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मद में जमा किया जायेगा) साथ ही विभागीय पत्रांक : 599 दिनांक : 06.12.2019 के आलोक मे मालिकाना फीस (SF) की कटौती प्राक्कलन में लगे खनिज मूल्य के 10 (दस) प्रतिशत फ्लैट दर पर कटौती की जायेगी।
29. संवेदक को किए गए कार्य का भुगतान तभी होगा, जब सरकारी प्रतिष्ठित गुण नियंत्रण के कार्यालय से गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र प्राप्त होगा।
30. कार्य का एकरारनामा Form F2 पर होगा, जिसका कंडिका 23 विलोपित समझा जाय।
31. निविदा में चतुर्थ श्रेणी के निबंधित संवेदक कार्य क्षेत्र यथा पश्चिम चंपारण जिला के निबंधित संवेदक ही भाग ले सकते है।
32. कार्य का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत है। आवंटन उपलब्ध होने पर किये गए कार्य का भुगतान करना संभव होगा।
33. बिहार सरकार/जल संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिसूचना/आदेश निविदा के शर्तो के लिए मान्य होगा।
34. निविदादाता को चालू ई०मेल आई०डी० एवं मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा।
35. निविदादाता को निविदा डालने के पूर्व Call before UDIG App.download एवं (CBUD) Logging करना अनिवार्य है, तथा इससे संबंधित विभागीय पत्र के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
36. विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय के सूचना पटट् पर देखा जा सकता है।

(सुजीत कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल

पत्रांक : 23 / रक्सौल, दिनांक : 04. 01. 2024

प्रतिलिपि :– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं दस प्रतियो मे (सी०डी० सहित) समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

04.01.2024.
(सुजीत कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
त्रिवेणी नहर प्रमण्डल, रक्सौल
04.01.2024